

In the Court of Additional District & Sessions Judge-II
Vaishali at Hajipur

Title Appeal No. - 03/2014

आदेश

26.04.2024

वाद का बार-बार पुकार किया गया किंतु कोई भी उपस्थित नहीं हुए। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कर्क अवसरों पर अपीलकर्त्ता को अगाह किया गया है कि वे उचित पैरवी करें किंतु कोई भी कदम इसके आलोक में नहीं उठाया गया है। यह वाद लगभग दस वर्षों से लंबित है एवं अभी भी अपीलकर्त्ता के निष्क्रियता से कारण उपस्थिति के स्तर पर ही लंबित है। इस आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, पटना का निर्देश भी सुसंगत है कि दस वर्षों से पुराने वादों को निष्पादित करना है। अतः इस समस्त तथ्यों परिस्थितियों तथ अपीलवादी के आचरण के आलोक में वाद में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। कार्यालय नियमानुसार कार्यवाही करें।

ले०

A.D.J.-II